

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा मे,

सचिव,
उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक 17 अक्टूबर, 2018

विषय:- सोसायटी ऑफ मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, गौतमबुद्ध नगर में पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0-नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स प्रारम्भ करने हेतु अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-6599/18, दिनांक 13.08.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त सोसायटी ऑफ मेट्रो ग्रुप फार एजूकेशन एण्ड मेडिकल रिसर्च द्वारा प्रस्तावित मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, गौतमबुद्ध नगर में पोस्ट बेसिक बी0एस0सी0-नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स में 30 सीट प्रतिवर्ष प्रवेश क्षमता का प्रशिक्षण केन्द्र खोलने हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अनिवार्यता/अनापत्ति प्रदान की जाती है:-

1. संस्था द्वारा प्रशिक्षण हेतु सभी मानक/औपचारिकताएं पूर्ण कर इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली से निरीक्षण कराकर अनुमति/मान्यता प्राप्त कर प्रशिक्षण केन्द्र के संचालन की कार्यवाही की जायेगी।
2. इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली द्वारा निरीक्षणोपरान्त संस्था को जितनी सीट अनुमन्य की जायेंगी उतनी ही सीटों पर संस्था द्वारा प्रवेश लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली तथा संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा नर्सिंग प्रशिक्षण के संबंध में समय-समय पर जारी किये गये समस्त निर्देशों, मानकों एवं चयन प्रक्रिया का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. संस्था द्वारा शासनादेश संख्या-4447/71-3-05-141/05 दिनांक 14.10.2005 यथा संशोधित शासनादेश दिनांक 24.01.2006, 15.01.2007 तथा 23.01.2008 में निहित प्राविधानों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
5. संस्था का उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी द्वारा प्रत्येक तीसरे वर्ष निरीक्षण कराया जायेगा। यदि संस्था द्वारा राज्य सरकार/इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली/उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी/संबंधित विश्वविद्यालय के किसी भी दिशा-निर्देशों/मानकों का उल्लंघन किया जाता है, तो संस्था की अनापत्ति/मान्यता समाप्त कर दी जायेगी।

2- कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1421(1)/71-4-18-तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, इण्डियन नर्सिंग काउंसिल, नई दिल्ली।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. कुलसचिव सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा संस्था।
- ✓ 4. प्रबन्धक, मेट्रो कालेज ऑफ नर्सिंग, गौतमबुद्ध नगर द्वारा सचिव, उ0प्र0 स्टेट मेडिकल फैकल्टी, लखनऊ।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
उप सचिव।